

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविर-गा/संस्था/सी-८/विविध/2020

दिनांक १५/०१/२०२०

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विषय:- विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों के एसीपी देय (DUE) की सूचना संस्थाप्रधान द्वारा शालादर्पण पर ऑनलाईन करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में विभाग में कार्यरत समस्त संवर्ग के एसीपी प्रकरण ऑफलाईन के माध्यम से संबंधित नियन्त्रण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं। विभाग के ध्यान में आया कि कार्मिकों के स्वयं द्वारा आवेदन करने के उपरान्त प्रकरण कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से नियन्त्रण अधिकारी के समक्ष प्रेषित किये जा रहे हैं परन्तु बहुत से कार्मिकों की स्वयं की जागरूकता के अभाव में प्रकरण प्रस्तुत नहीं होते हैं।

इस विन्दु पर दिनांक ०९.०१.२० को बैठक में सभी CDEO/DEO (मुख्यालय) माध्यमिक से चर्चा की गई थी। अतः इस संबंध में समस्त पीईईओ/आहरण-वितरण अधिकारी/संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें कि उनके अधीनस्थ कार्मिकों की प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय (DUE) की रिस्ति सेवापुरितका से मिलान कर शीघ्र निर्धारित प्रारूप में अंकन किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि एसीपी देय (DUE) की रिस्ति विभाग के ध्यान में आ सके। समस्त CDEO/CBEO अपने क्षेत्राधिकार में मॉनिटरिंग करें ताकि प्रकरणों के निष्पादन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में निस्तारित हो सके। शाला दर्पण पर एसीपी का मॉड्यूल ऑनलाईन किया जा रहा है।

(Himanshu Gupta)
(हिमांशु गुप्ता) १५/०१
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, रक्कूल शिक्षा (ग्रुप-५) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की मॉनिटरिंग कर शीघ्र सूचना प्राप्त कर, इस कार्यालय को अवगत करावें।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि सूचना शालादर्पण पर अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी/पीईईओ द्वारा अंकन करवा कर, प्रमाण पत्र प्राप्त कर सूचना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक (मुख्यालय)।
5. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन (एबी/सी-१/सी-२/सी-३/सी-४/एफ) / सामान्य प्रशासन-प्रथम, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

१५/०१/२०२०
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर